# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली
## पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

**राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 8/2022**

**जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2022/45**

| **प्रार्थीगणः–** | **बनाम** | **अप्रार्थीगणः–** |
|---|---|---|
| सरकार जरिये तहसीलदार, बाली | | 1. गणाराम पुत्र खीमाराम<br>2. पेपीबाई पत्नी खीमाराम<br>3. राधा पुत्री खीमाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण दांतीवाडा तह. बाली जिला पाली राज. |

**"अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970"**

**उपस्थित :–**

1. अप्रार्थी संख्या 01,02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।

**–: निर्णय :–**

**दिनांकः– 19.11.2024**

प्रार्थी तहसीलदार बाली ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत भू आवंटन एवं आवंटन सलाहकार समिति "समस्या समाधान शिविर, 1992 द्वारा ग्राम दातीवाडा के खसरा नम्बर 181 रकबा 0.1900 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 182 रकबा 0.3300 हैक्टर खसरा नम्बर 184 रकबा 0.6300 हैक्टर व खसरा नम्बर 185 रकबा 0.1700 हैक्टर कुल रकबा 1.3200 हैक्टर किस्म बारानी सोयम भूमि का खीमाराम पुत्र दरगाराम जाति मेघवाल के पक्ष में किए गए भू–आवंटन आदेश क्रमांक/प.12(2)/राज/92/173 दिनांक 21.06.1992 के विरूद्ध पेश किया है।

पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, पाली के निर्देशानुसार न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली के आदेश क्रमांक/सीलिंग/कोर्ट/2022/182 दिनांक 20.12.2022 द्वारा स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने सीधे बहस सुनने का निवेदन किया अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

तहसीलदार बाली के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 के आवंटी का मौके पर आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी का व्यवसाय कृषि या कृषि सह कार्य नहीं हैं। वक्त आवंटन आंवटी के द्वारा असत्य तथ्य प्रकट कर आवंटन/नियमन करवाया हैं। आवंटी के द्वारा आवंटन/नियमन की शर्तो की पालना नहीं की हैं। गैर खातेदारी आवंटन वर्ष 1992 में हुई है। जिसके नामान्तरकरण संख्या 143 हैं। मौके पर आवंटी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। वर्तमान में उक्त भूमि खसरा

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 181 पर बबूल खड़े हैं, खसरा नम्बर 182 के कुछ भू–भाग पर पर बबूल खड़े है व चौड़ा रास्ता है तथा खसरा नम्बर 184 पर तालाब की पाल बनी हुई है मामाजी का बड़ा मंदिर बना हुआ हैं। खसरा नम्बर 185 के कुछ भू–भाग पर रास्ता गुजर रहा है शेष भाग पर पाल बनी हुई है जिसे लोग मामाजी की ओरण के नाम से पहचानते हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत कर आवंटी का आवंटन/नियमन को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि खसरा नम्बर 184 एवं 185 में गांवाई मामाजी का मंदिर एवं मंदिर का ओरण होने एवं लोक आस्था का विषय होने के कारण रेस्पोडेण्ट द्वारा खेती नहीं की जाती यद्यपि यह उनको आवंटित भूमि है तथा इस पर उनका वैधानिक हक हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी ने खसरा नम्बर 181 एवं 182 के संबंध में तहसीलदार के कथन को अस्वीकार करते हुए स्वयं का कब्जा काश्त एवं वैधानिक हक हकूक जताया। अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष ने बहस के अंत में कथन किया कि वर्ष 1992 में आवंटन आदेश होने के पश्चात नियमानुसार आवंटी को विधिवत कब्जा प्राप्त हुआ था एवं आवंटी के पक्ष मे जैर आवंटन आदेश आवंटन नियमों के तहत एवं विधिवत प्रावधानों अनुसार किया गया है ऐसे में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुतत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया अप्रार्थीगण का आवंटित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं, आवंटित भूमि के अधिकांश हिस्सें में तालाब की पाल (प्रतिबंधित श्रेणी) एवं मंदिर तथा मंदिर का वन क्षेत्र/ओरण हैं। अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं होने के प्रमाण के रुप में पत्रावली में गिरदावरी संवंत 2069–2076 सलंग्न हैं। अतः आवंटित भूमि का आंवटन निरस्त किया जाए।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र भू आवंटन एवं आवंटन सलाहकार समिति "समस्या समाधान शिविर, 1992 द्वारा ग्राम दातीवाडा के खसरा नम्बर 181 रकबा 0.1900 हैक्टर व खसरा नम्बर 182 रकबा 0.3300 हैक्टर खसरा नम्बर 184 रकबा 0.6300 हैक्टर व खसरा नम्बर 185 रकबा 0.1700 हैक्टर कुल रकबा 1.3200 हैक्टर किस्म बारानी सोयम भूमि का भीमाराम पुत्र दरगाराम जाति मेघवाल के पक्ष में किए गए भू–आवंटन आदेश क्रमांक/प. 12(2)/राज/92/173 दिनांक 21.06.1992 के विरूद्ध पेश किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति एवं उभयपक्ष की आवंटन रेकर्ड के सम्बन्ध में सहमति से मूल आवंटन आदेश को अधीनस्थ न्यायालय से मंगवाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। आवंटन आदेश के अनुक्रम में नामान्तरकरण संख्या 143 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने पर पाया गया कि कृषि भूमि आवंटन/नियमन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 21.05.1992 में लिए गए निर्णय एवं उपखण्ड अधिकारी बाली के आदेश क्रमांक/173 दिनांक 21.06.1992 के द्वारा मौजा दातीवाडा के खसरा नम्बर 181,182,184 एवं 185 कुल रकबा 1.32 हैक्टेयर का आवंटन खीमाराम पुत्र श्री दरगा के पक्ष में किया गया। तदन्तर खीमाराम एवं उसकी मृत्यु उपरांत उसके वारिसान यानि अप्रार्थीगण गैर खातेदार के रुप में ही दर्ज हैं। राज. भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 में स्पष्ट प्रावधान है कि आवंटी का आवंटित भूमि पर नियमित कब्जा काश्त होना आवश्यक है, अन्यथा

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

आवंटन खारिज योग्य होता हैं। पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 14.06.2022 एवं तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र के सलंग्न प्रस्तुत गिरदावरी रिपोर्ट संवंत 2069–2076 से जाहिर होता है कि अप्रार्थी एवं आवंटित भूमि के गैर खातेदार का भूमि पर कब्जा काश्त नहीं हैं। पत्रावली में सम्पूर्ण सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से तहसीलदार के प्रार्थना पत्र में उठाए तथ्यों के प्रत्युतर में स्वयं के कब्जा काश्त के पक्ष में कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे यह सिद्ध हो सके कि आवंटित भूमि पर मूल आंवटी या उसके वारिसान का कब्जा काश्त रहा हों। लिहाजा मौजा दांतीवाडा के खसरा नम्बर 181,182,184 एवं 185 कुल रकबा 1.32 हैक्टेयर के संबंध में उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा दिनांक 21.06.1992 को जो आवंटन आदेश पारित किया है, वो काबिल खारिज हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम 1970 अप्रार्थी (आवंटी) के कब्जा काश्त के अभाव में स्वीकार किया जाकर मौजा दातीवाडा के खसरा नम्बर 181 रकबा 0.1900 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 182 रकबा 0.3300 हैक्टर खसरा नम्बर 184 रकबा 0.6300 हैक्टर व खसरा नम्बर 185 रकबा 0.1700 हैक्टर कुल रकबा 1.3200 हैक्टर के संबंध में उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा खीमाराम पुत्र दरगाराम जाति मेघवाल के पक्ष में किए गए भू–आवंटन आदेश क्रमांक/प.12(2)/राज/92/173 दिनांक 21.06.1992 निरस्त किया जाता हैं एवं वादग्रस्त उपरोक्त भूमि को खाता संख्या 01 में सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की सत्यप्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner